

न्यायालय— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, गोहद जिलाभिण्ड मध्यप्रदेशपीठासीन अधिकारी— केशव सिंहव्यवहार वाद कमांक 58.ए/2013संस्थापित दिनांक 23.07.2013

1. कप्तान सिंह पुत्र हरीरामविलोपित
2. श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नि कप्तान सिंह
आयु—68साल
3. नागेश सिंह पुत्र कप्तान सिंह आयु—40साल
4. श्रीमती सर्वेश पत्नि नागेश आयु—37साल
5. कलियान सिंह पुत्र कप्तान सिंह आयु—38साल
6. श्रीमती भारती पत्नि कलियान सिंह आयु—36
साल
7. अजीत सिंह पुत्र कप्तान सिंह आयु—33साल
8. श्रीमी रेनू पत्नि अजीत सिंह आयु—33साल
जाति कौरव निवासीगण ग्राम टेटोन, परगना
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....वादीगणबनाम

1. बाबू सिंह पुत्र शांतिलाल जैन उम्र—65साल
जाति वैश्य निवासी ग्राम टेटोन परगना, गोहद
हॉल निवासी चौबे वाली गली वार्ड क.15 गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0
2. प्रहलाद सिंह पुत्र तुलाराम सिंह आयु—76साल
जाति कौरव निवासी ग्राम टेटोन, परगना, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0
3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर
महोदय भिण्ड म0प्र0

..... प्रतिवादीगण::— निर्णय—::(आज दिनांक 27/11/14 को घोषित किया)

1. वादीगण ने यह वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं न्यायालय सिविल जज वर्ग—1 गोहद के प्र0क054./01एड0दी0 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27/6/03 एवं इस डिक्री के आधार पर आदेश 39 नियम 2 क सी0पी0सी0के आवेदनपत्र की प्रकरण कमांक 8/09 मु0दी0की कार्यवाही अपास्त किये जाने बाबत प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा कमांक 1939 रकवा 0.06, 1940 रकवा 0.130, जो ग्राम टेटोन परगना गोहद में स्थित है। इस भूमि में वादीगण का रिहायसी मकान बना हुआ है। जिसमें वादीगण अपने पूर्वजों के समय से निवास कर रहे हैं। उक्त नम्बरों में बना मकान ही विवादित है। वादीगण का उक्त मकान वादीगण के पूर्वजों के समय से जमींदारीकाल का बना हुआ है। जिसमें वादीगण पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी क01 का इस मकान से कोई संबंध व सरोकार नहीं है और न ही आज तक किसी भी हैसियत से उसका कब्जा बर्ताव है। प्रतिवादी क01 ने काल्पनिक झूठे तथ्यों के आधार पर न्यायालय में दावा पेश किया जो [प्र0क054/01ए0इ0दी0](#) में संचालित होकर मौके पर कब्जा लिये बिना ही स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्राप्त कर ली कि कब्जा व दखल में किसी प्रकार का वादीगण हस्तक्षेप न करें और उक्त डिकी के आधार पर आदेश 39 नियम 2 क सी0पी0सी0 के तहत आवेदनपत्र पेश किया गया और उसमें इजरा की कार्यवाही करते हुये दखल वारंट जारी कर दिया है। जबकि स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में कोई भी प्रवर्तन कार्यवाही आदेश 39 नियम 2 क सी0पी0सी0 की कार्यवाही नहीं की जा सकती है और न ही उसमें दंडित किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय सिविल जज वर्ग-2 गोहद के [प्र0क08/09मु0दी0](#) में इजरा की कार्यवाही संचालित की गई जिसमें आपत्ति भी की गई लेकिन सभी आपत्ति बगैर साक्ष्य के लिये निरस्त कर दी गई।

4. वादीगण का वादपत्र में आगे यह भी कहना है कि प्रतिवादी क01 करीब 40,50 साल पूर्व अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर गोहद चौराहा पर निवास कर रहा है उसका आज तक विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा बर्ताव नहीं रहा है इसलिये वादीगण ने प्रतिवादी क01 के कब्जा बर्ताव में बाधा पैदा नहीं की है मात्र डिकी के आधार पर कुर्की वारंट जारी किया गया है तथा प्रतिवादी द्वारा वादी को दिनांक 12/7/13 को ग्राम टेटोन में जाकर धौस दी कि मेरे पक्ष में डिकी है और उक्त डिकी के आधार पर तुम्हारा पुश्तैनी काल से बना हुआ मकान तुडवा दूंगा। वादी क02 लगायत 8 उक्त डिकी के पक्षकार नहीं हैं वे इस मकान में निवास कर रहे हैं। प्रतिवादी क01 ने जबरदस्ती मकान तुडवा के धौस दी है यदि मकान टूट गया तो वे बेघरवार हो जावेंगे विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि लिखी हुई है जबकि मौके पर ग्राम आबादी से लग हुई भूमि है जिस पर जमींदारी जमाने से मकान बना हुआ है इसलिये वादीगण के हित में इस आशय की डिकी प्रदान की जावे कि विवादित मकान में वादीगण निवास कर रहे हैं इसलिये वे उसके स्वामी व आधिपत्यधारी हैं तथा पारित डिकी कमांक [54/01ए0इ0दी0](#) दिनांक 27/6/03 एवं डिकी

के आधार पर आदेश 39 नियम 2 क का सी0पी0सी0का आवेदन जो प्रकरण कमांक 08/09मु0दी0पर संचालित है वह वादीगण के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य है तथा इस आशय की डिकी प्रदान की जावे कि वादीगण के कब्जा बर्ताव में प्रतिवादी क01 किसी प्रकार की बाधा पैदा न करें और न ही किसी प्रकार की कार्यवाही करे।

5. प्रकरण में प्रतिवादी क01 की ओर से दावे का जबाब प्रस्तुत किया गया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पूर्वजों के समय से या जमींदारीकाल से कभी भी कोई मकान नहीं बना था वादीगण का मकान गांव की बस्ती के अंदर बना हुआ है। प्रतिवादी पूर्व में ग्राम टेटोन का रहने वाला होकर वैश्य जाति का है अब वह वृद्ध होने के कारण व्यवसाय की दृष्टि से रोज-रोज के झगड़े के कारण गोहद में मय परिवार के साथ रहकर व्यवसाय कर रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई अंश व संबंध सरोकार नहीं है। प्रतिवादी की ओर से न्यायालय में दावा पेश किया था जो दोनो पक्षों की पूर्ण सुनवाई के बाद डिकी हुआ है तथा वादीगण द्वारा डिकी का उल्लंघन किया गया है तो उसकी इजरा पेश की गई है जो पूर्णतः सत्य व सही है। जिसमें वादीगण उपस्थित हुये और गलत आपत्तियाँ पेश की जो पूर्ण सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा अमान्य की गई। जिसके विरुद्ध वादीगण कभी भी वरिष्ठ न्यायालय में नहीं गये और न ही कोई कार्यवाही की है इसलिये पूर्व निर्णय व डिकी एवं इजरा में पारित आदेश सही होकर प्रभाव में है। वादीगण सक्षम न्यायालय की वैधानिक डिकी होते हुये डिकी का उल्लंघन करते हुये वाद भूमि पर कब्जा किया है जिसकी इजरा प्रतिवादी की ओर से न्यायालय में पेश की गई है जिसमें वादीगण को दंडादेश दिया गया है फिर भी वादीगण मुझ प्रतिवादी के वृद्ध एवं सीधे पन का नाजाईज फायदा उठाकर यह दावा पेश किया है

6. प्रतिवादी क01 का अपने जबाब में आगे यह भी कहना है कि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि को भाड़े पर कराकर अपना कब्जा काश्त किये हुये है। डिकी की इजरा में वादी क01 में गलत आपत्तियाँ पेश की जो न्यायालय द्वारा विधिवत पूर्ण सुनवाई के बाद निरस्त कर दी है। अब यह दावा पेश करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वादी क01 ने अपने परिवार के सदस्यों को पक्षकार बनाकर यह गलत दावा पेश किया है जो रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत से बच नहीं सकता है। वादीगण पारित निर्णय एवं डिकी से प्रतिबंधित है। वादीगण ने गलत आधार लेकर यह गलत दावा पेश किया है वादीगण लडाकू एवं झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है विधिनुसार उन्हें दावा पेश करने का कोई हक नहीं है। पूर्व वाद एवं वर्तमान वाद का विवाद एवं पक्षकार सारतत्त्य एक ही है पूर्व वाद सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई के बाद निराकृत किया गया है इसलिये

वादीगण का वाद चलने योग्य न होने से सव्यय निरस्त किया जावे।

7. प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र एवं उसके जबाव के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित हैं:—

<u>वादप्रश्न</u>	<u>निष्कर्ष</u>
1. क्या प्रकरण कमांक 54.ए/01इ0दी0 की डिकी के आधार पर आदेश 39 नियम 2 क की कि गई कार्यवाही वादी के विरुद्ध प्रभावहीन होने से अपास्त किये जाने योग्य है?	नहीं
2. क्या भूमि सर्वे क.1929 व 1940 में बना हुआ मकान में वादीगण पीढी दर पीढी से निवास कर वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य का है?	अप्रमाणित
3. क्या वाद रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत से बांधित है?	हाँ
4. सहायता एवं वाद व्यय? —निर्णय की कंडिका—19 के अनुसार	

सकारण निष्कर्ष

8. प्रकरण में वादीगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में नागेश सिंह वा0सा01, फूल सिंह वा0सा02, रघुवीर सिंह वा0सा03 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है जबकि प्रतिवादीगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में बाबूलाल प्र0सा01 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

वाद प्रश्न कमांक—1 का निराकरण

9. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर है। जिसके संबंध में नागेश सिंह वा0सा01, ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि भूमि सर्वे क.1939 रकवा 0.06 एवं 1940 रकवा 0.130, जो ग्राम टेटोन तहसील गोहद में स्थित है। जिसमें वादीगण का पूर्वजों के समय से मकान बना हुआ है। उक्त मकान में वादीगण निवास करते चले आ रहे हैं यह मकान जमींदारीकाल का बना हुआ है जिसमें वादीगण निवास करते हैं। प्रतिवादी क01 का इस जगह से कोई संबंध व कब्जा बर्ताव नहीं है। प्रतिवादी क01 ने काल्पनिक एवं झूठे तथ्यों के आधार पर न्यायालय में दावा पेश किया था जो प्र0क054/01ए0इ0दी0 पर संचालित होकर मौके पर कब्जा वादीगण का है लेकिन झूठे तथ्य लिखकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त कर ली है जबकि मौके पर कब्जा प्रतिवादी क01 का नहीं था। उक्त डिकी के आधार पर आदेश 39 नियम 2 क सी0पी0सी0के तहत आवेदन पेश कर दिया जिसमें इजरा की

कार्यवाही करते हुये दखल वारंट जारी कर दिया है। जबकि स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में आदेश 39 नियम 2 क सी0पी0सी0की कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। केवल आदेश की अवहेलना हुई है तो दंडित किया जा सकता है।

10. नागेश वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर आगे यह भी कहा हैकि प्रतिवादी क01 करीब 40,45 साल पूर्व अपनी सारी जमीन व मकान ग्राम टेटोन से बेचकर गोहद चौराहा पर निवास कर रहा है उसका आज तक विवादित भूमि पर कब्जा बर्ताव नहीं रहा है। लेकिन वादीगण के विरुद्ध गलत रूप से कुर्की वारंट जारी कर दिया है उसमें आपत्ति की है लेकिन आपत्ति मान्य नहीं की गई ओर आपत्ति निरस्त कर दी है। जिसके संबंध में वादीगण की ओर से धारा 80 सी0पी0सी0का नोटिस व कार्बन प्रति प्र0पी01, तथा रजिस्ट्री की रसीद प्र0क02 तथा न्यायालय की निर्णय एवं डिक्री पेश की है जो प्र0पी03 की है।

11. प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य के विपरीत प्रतिवादी बाबूलाल प्र0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया हैकि विवादित भूमि पर वादीगण का मकान नहीं बना है। समस्त वादीगण का मकान गांव की बस्ती के अंदर बना हुआ है। प्रतिवादी ने न्यायालय में दावा पेश किया था जो दोनो पक्षों को पूर्ण सुनवाई के बाद डिक्री हुआ है ओर वादीगण द्वारा डिक्री का उल्लंघन किया गया है तो उसमें इजरा की कार्यवाही की है जो सत्य व सही है। वादीगण ने उपस्थित होकर गलत आपत्तियाँ पेश की है जो पूर्ण सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा अमान्य की गई है।

12. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह हैकि क्या डिक्री के आधार पर आदेश 39 नियम 2 क की कार्यवाही वादीगण के विरुद्ध प्रभावहीन है। जिसके संबंध में वा0सा01 नागेश ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में यह स्वीकार की है कि यह सही हैकि पूर्व के प्रकरण में विवादित नम्बर व इस प्रकरण के विवादित नम्बर एक ही है तथा प्र0पी03 के निर्णय एवं डिक्री में बाबूलाल के पक्ष में फेसला हुआ था और उसके पिता हार गये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया हैकि उसका मकान ग्राम टेटोन के अंदर बना हुआ है। वादीगण ने वादपत्र पेश कर यह सहायता चाही हैकि [प्र0क054/01ए0इ0दी0](#) में पारित डिक्री प्रतिवादी ने झूठे तथ्य लिखकर प्राप्त की है। जबकि मौके पर वादीगण का मकान बना हुआ है लेकिन मौके पर वादीगण का मकान बना है इस संबंध में वादीगण की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शाता होकि वादीगण का मकान विवादित भूमि में बना हुआ है। प्रकरण में वादीगण की ओर से ऐसा भी कोई साक्षी व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शाता हो कि प्रकरण [क054/01ए0इ0दी0](#) की डिक्री के आधार पर

आदेश 39 नियम 02 क की कार्यवाही किस आधार पर प्रभावहीन है।

13. प्रकरण में वादीगण की ओर से 54ए/01ए0इ0दी0 का निर्णय व डिकी वादीगण ने अपास्त किये जाने हेतु किसी वरिष्ठ न्यायालय में कोई कार्यवाही की हो ऐसा भी अभिवचन ही वादीगण की ओर से वादपत्र में नहीं किया है और न ही वादीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य है कि उक्त डिकी व निर्णय को अपास्त कराये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही की थी। वादीगण का यह तर्क है कि प्रतिवादी क01 का मौके पर कभी कब्जा नहीं रहा है जबकि प्रतिवादी क01 द्वारा न्यायालय से इस आशय की डिकी प्राप्त की है कि उसके कब्जा बर्ताव में किसी प्रकार की बाधा पैदा न करें अगर प्रतिवादी का मौके पर कब्जा नहीं था उस सम्बन्ध में माननीय वरिष्ठ न्यायालय में अपील की जा सकती थी लेकिन प्र0क054/01ए0इ0दी0 के निर्णय व डिकी की न तो कोई अपील हुई है न ही प्रतिवादीगण के द्वारा कोई कार्यवाही की गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी न्यायालय का कोई भी आदेश तब तक अंतिम रहता है जब तक कि उसे वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया जाता। इस प्रकरण में भी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के द्वारा निर्णय व डिकी पारित किया है जिसकी न तो कोई अपील की गई है और न ही उसे अपास्त कराये जाने संबंधी कोई कार्यवाही की है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादी क01 द्वारा न्यायालय द्वारा झूठे तथ्य रखकर काल्पनिक आधारों पर डिकी प्राप्त की है तथा डिकी एवं निर्णय के आधार पर प्रतिवादी द्वारा आदेश 39 नियम 02 क की गई कार्यवाही को किसी भी दृष्टिकोण से प्रभावहीन नहीं माना जा सकता। अतः विचारणीय वाद विषय का निराकरण वादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक-2 का निराकरण

14. विचारणीय वादविषय को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर है जिसके संबंध में नागेश वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि सर्वे नं.1939 रकवा 0.06,1940 रकवा 0.130 जो ग्राम टेटोन परगना गोहद में स्थित है जिसमें वादीगण का पूर्वजों के समय से मकान बना हुआ है उक्त मकान में वादीगण निवास करते चले आ रहे हैं। उक्त मकान वादीगण का जमींदारी काल से बना हुआ है जिसमें वादीगण निवास करते चले आ रहे हैं। इस साक्षी के कथनों का समर्थन फूलसिंह वा0सा02, रघुवीर सिंह वा0सा03 के द्वारा भी किया गया है।

15. नागेश वा0सा01 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में यह स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि ग्राम टेटोन में हमारे गांव के अंदर

मकान बना हुआ है। फूल सिंह वा0सा02 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह स्वीकार किया है कि कप्तान सिंह का मकान ग्राम टेटोन के अंदर बना हुआ है। रघुवीर वा0सा03 के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह स्वीकार किया है कि कप्तान सिंह का मकान गांव में बना हुआ है। जिससे यह दर्शित होता है कि वादीगण का मकान सर्वे नं.1939 रकवा 0.06, एवं सर्वे नं.1940 रकवा 0.130 में न होकर ग्राम टेटोन में बना हुआ है। वादीगण की ओर से ऐसा भी कोई अभिलेख साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शाता हो कि उक्त सर्वे नम्बरान में वादीगण का मकान बना हुआ है। वादीगण की ओर से प्र0पी03 के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जिसमें कप्तान सिंह द्वारा जबावदावा प्रस्तुत किया है उक्त जबावदावे में भी कप्तान सिंह द्वारा उक्त सर्वे नम्बरो में मकान बने होने का उल्लेख नहीं किया है। अगर वादीगण का मकान उक्त सर्वे नम्बरान में जमींदारीकाल से बना हुआ होता तो निश्चित ही कप्तानसिंह के द्वारा प्रकरण कमांक 54.ए/01इ0इ0दी0 में प्रस्तुत जबावदावे में मकान बने जाने का उल्लेख किया जाता है।

16. प्रकरण में वादीगण की ओर से यह तर्क दिया है कि उनका जमींदारीकाल से मकान बना हुआ है। जिसमें वह निवास कर रहे हैं लेकिन वादी क01 के द्वारा मकान के संबंध में [प्र0क054/01ए0इ0दी0](#) में पारित आदेश के समय मकान का मुददा नहीं उठाया है। अगर उक्त निर्णय व डिक्री के समय मकान का मुददा उठाया जाता तो निश्चित ही [प्र0क054/01ए0इ0दी0](#) में पारित निर्णय व डिक्री में उक्त मकान का हवाला निश्चित तौर पर आता। वादीगण की ओर से प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार वृत्त एण्डौरी, जिला भिण्ड की रिपोर्ट कब्जों के संबंध में प्रस्तुत की गई है जो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, के मांगपत्र के अनुसार इजरा की कार्यवाही के समय तहसीलदार गोहद द्वारा प्रस्तुत की है जिसमें सर्वे क. 1939 रकवा 0.06, 1940 रकवा 0.130 में मकान बना होने का उल्लेख किया गया है लेकिन उस संबंध में उक्त साक्षी को भी न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है इसलिये उक्त दस्तावेज भी किसी साक्षी की सम्पुष्टी के अभाव में प्रमाणित नहीं कहा जा सकता।

17. प्रकरण में नागेश वा0सा01, ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 तथा फूल सिंह वा0सा02 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में तथा रघुवीर ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि कप्तान सिंह का मकान ग्राम टेटोन के अंदर बना हुआ है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण का मकान भूमि सर्वे नं.1939 व 1940 में न होकर ग्राम टेटोन के अंदर बना हुआ है। अतः विचारणीय प्रश्न का निराकरण वादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निराकृत किया जा रहा है।

वाद प्रश्न क्रमांक-3का निराकरण

18. प्रतिवादी क01 की ओर से अपने जबावदावे में यह आपत्ति ली है कि प्रकरण में वादी क01 ने अपने परिवार के सदस्यों को पक्षकार बनाकर दावा प्रस्तुत किया है वादी क02 वादी क01 की पत्नि है वादी क03 उनका पुत्र है वादी क04 वादी क01 की पुत्रवधु है वादी क05 पुत्र है तथा वादी क06 पुत्रवधु है वादी क07 पुत्र है वादी क08 पुत्रवधु है इस प्रकार वादी क01 के वादी क02 लगायत 08 परिवार के सदस्य है इसलिये धारा 11 सी0पी0सी0 के अनुसार रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत से प्रतिबंधित है। इस संबंध में प्रतिवादी बाबूलाल वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि वादी क01 के अन्य वादीगण परिवार के सदस्य है। इसलिये वादी क01 के मुकाबले पारित निर्णय व डिक्री विधिनुसार विवंधित है इसलिये पूर्व निर्णय के सिद्धांत के आधार पर वादीगण यह वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। नागेश वा0सा01 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में यह स्वीकार किया है कि पूर्व के प्रकरण के विवादित नम्बर व इस प्रकरण के विवादित नम्बर एक ही है और वादीगण की ओर से [प्र0क054/01ए0इ0दी0 प्र0पी03](#) के निर्णय के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि इस वादपत्र में सर्वे क.1939 रकवा 0.06,1940 रकवा 0.130,का विवाद प्रस्तुत किया है जिसका निराकरण [प्र0क054/01ए0इ0दी0](#) दिनांक 28/6/03 को निराकृत किया जा चुका है। जिससे दर्शित होता है कि प्रकरण में विवादित नम्बर और पक्षकार सारतत एक ही है इसलिये वादीगण रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत भी भी विवंधित है इसलिये यह वाद प्रतिवादी क01 के विरुद्ध प्रचलन योग्य नहीं है तथा वादीगण रेसज्यूडीकेटा के सिद्धांत से बांधित होना पाये गये।

वाद प्रश्न क्रमांक-4 सहायता एवं वाद व्यय

19. प्रकरण में विचारण के दौरान की गई विवेचना में वादी अपने वाद को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है अतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है वादी किसी प्रकार की कोई सहायता पाने के पात्र नहीं पाया गया वाद का व्यय वादीगण स्वयं एवं प्रतिवादीगण का बहन करेगा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर तालिका अनुसार जो न्यून हो देय होगी तदानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मेहस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया

मेने निर्देश पर टाईप किया

हस्ता0सही
व्य0न्या0वर्ग-एक गोहद
जिला भिण्ड

हस्ता0सही
व्य0न्या0वर्ग-एक गोहद
जिला भिण्ड

